

दण्डात्मक शर्तों के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय की देयता सम्बन्धी
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बाँईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित पाईप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 10.22375 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि के फलस्वरूप दण्डात्मक शर्तों के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय की देयता का भुगतान गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

15.3.18
(आर० के० पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ०प्र० जल निगम, आगरा

प्रति हस्ताक्षरित

15.3.18
(मनीष मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा